न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या –08/2025 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2025/52

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

श्री दिलीप कुमार माधवानी पुत्र श्री जीवनदास माधवानी निवासी म0नं0 219 सिन्धी कॉलोनी, गुमानपुरा, कोटा ।

––अप्रार्थीगण.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 07 व्यावसायिक व 03 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा गैस रिफलिंग (जुगाड) बांसुरी को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

पेरोकार रसद

निर्णय

दिनांक 20.05.2025

1 संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 07.10.2024 के अनुसरण में जांच दल प्रवर्तन स्टाफ द्वारा दिनांक 13.02.2025 को घरेलू एल पी जी सिलेण्डरों के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं एवं वाहनों में अवैध रिफलिंग से जान माल व राजस्व हानि को रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के कम में कोटा शहर में मकान नं0 219 सिन्धी कॉलोनी गुमानपुरा कोटा शहर मौके पर पहुंच कर जांच की । मोके पर दिलीप कुमार माधवानी पुत्र श्री जीवनदास माधवानी निवासी सिन्धी कॉलोनी गुमानपुरा कोटा मकान में उपस्थित मिले, जिनकी उपस्थिति में गैस सिलेण्डरों की जांच का कार्य सम्पादित किया गया । मकान परिसर का अवलोकन करने पर 07 व्यावसायिक व 03 घरेलू गैस क्षमता के गैस सिलेण्डर रखे पाये गये एवं गैस रिफलिंग का जुगाड़ (बांसुरी) रखी पाया गया । उक्त गैस सिलेण्डरों व गैस रिफलिंग जुगाड के दिलीप कुमार माधवानी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि घरेलू गैसं से व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों में जुगाड के माध्यम से गैस रिफलिंग की जाकर उच्च कीमतों पर बाजार में विक्रय किया जाता है । इस हेतु इन्होंने मौके पर बयान भी दिये । मौका स्थिति से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अवैध रूप से घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जा रहा है । इनके पास किसी भी प्रकार का गैस के कार्य किये जाने हेतु वैध लाईसेन्स अथवा दस्तावेज नहीं होना पाया गया । मौके पर 07 व्यावसायिक व 03 घरेलू गैस सिलेण्डर व गैस रिफलिंग का जुगाड (बांसुरी) को जब्त किया गया जिनका कुल अनुमानित मूल्य 30263/– है । उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है –

क्र. सं.	सिलेण्डर का एस आर कमांक	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार/क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्रा में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में	शुद्ध गैस का भार (6–5) किग्रा में	गैस सिलेण्डर का प्रकार
1	104348	HPCL	14.2	15.6	29.7	14.1	घरेलू
2	147987	HPCL	14.2	15.4	29.6	14.2	घरेलू
3	367157	IOC	14.2	15.8	29.5	13.7	घरेलू
4	134060	BPCL	19.0	19.1	21.0	1.9	व्यावसायिक
5	744937	BPCL	19.0	19.2	19.6	0.4	व्यावसायिक
6	36891	BPCL	19.0	19.1	38.2	19.1	व्यावसायिक
7	477036	IOC	19.0	19.5	25.6	6.1	व्यावसायिक
8	019455	IOC	19.0	19.2	21.2	2.0	व्यावसायिक
9	015901	HPCL	19.0	19.4	22.3	2.9	व्यावसायिक
10	012192	HPCL	19.0	19.0	33.0	14.0	व्यावसायिक
11	एक रिफलिंग बांसुरी						

जिला कलक्टर
कोटा

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं के दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस ऑर्डर 2000 के उपबन्धों का स्पष्ट उल्लंघन जाने पर श्री दिलीप कुमार माधवानी पुत्र जीवनदास माधवानी के कब्जे से उक्त 07 व्यावसायिक एवं 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों व गैस रिफलिंग का जुगाड को जब्त कर मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगी नामा बनाकर कोटा कॉपरेटिव गैस एजेन्सी नई धानमण्डी कोटा के प्रतिनिधि (मैनेजर) श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री बृजराज सिंह निवासी कुन्हाडी कोटा को लोक सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित 07 व्यावयायिक एवं 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों एवं गैस रिफलिंग का जुगाड़ (बांसुरी) को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

2 प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । नोटिस बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार रसद की एकपक्षीय बहस सुनी ।

3 पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी के मकान से 07 व्यावसायिक व 03 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये है उक्त गैस सिलेण्डरों व गैस रिफलिंग जुगाड के माध्यम से व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग की जाकर उच्च कीमतों पर बाजार में विक्रय किया जाता है । इस प्रकार अप्रार्थी ने उक्त जब्तशुदा सिलेण्डरों का अवैध संग्रहरण एवं व्यावसायिक उपयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने से मौके पर ही जब्त किये गये है । अतः उपरोक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों को राजसात कराना फरमावें ।

4 हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । वकील अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित है । अप्रार्थी के मकान से 07 व्यावसायिक व 03 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये है । उक्त गैस सिलेण्डरों व गैस रिफलिंग जुगाड से व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों में जुगाड के माध्यम से गैस रिफलिंग की जाकर उच्च कीमतों पर बाजार में विक्रय किया जाता है । इस प्रकार अप्रार्थी ने उक्त जब्तशुदा सिलेण्डरों का अवैध संग्रहरण एवं व्यावसायिक उपयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके द्वारा किया गया अपराध प्रमाणित पाया गया है ।

5 परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लिक्वीफाई पेट्रोलियम गैस (रेगूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 07 व्यावसायिक व 03 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर को राजसात (Confiscat) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जाकर आदेश दिये जाते है कि उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर का निस्तारण कराया जाकर पालना से अवगत करावें ।

6 निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा